तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	19/08/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 16/09/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
	16/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 24/09/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
24/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 8529 दिनांक 14/08/2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी प्रार्थनापत्र नाम दुरुस्ती इन्द्राज उद्घोषणा अंतर्गत धारा 136 रा.भू.रे.एक्ट स्वीकार किया जाता है। बैंक रहन हटने के बाद तहसीलदार बांदीकुई रिकॉर्ड में दर्ज करें। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 24.9.25 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं स

प्रकरण संख्या— 53 / 2025
प्रकरण दायर दिनांक—21.05.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक—25.09.2025

1. राम सिंह बैरवा पुत्र नानग चन्द बैरवा ज
ढाणी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तह

प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती इन्द्राज

प्रार्थी द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी
आशय का पेश किया कि ग्राम बास
खतौनी संख्या नई 66 पुरानी 64 के
635 कुल किता 10 कुल रकबा 4.4
खसरा नंबर 580 रकबा 0.15 हैक्
मुतदाविया के नाम से संबोधित कि
की भूमि रही है जो वादी को विर
रिकॉर्ड में दर्ज करते समय राजस
दर्ज कर दिया जो कि गलत है
बैरवा है जो सही है। प्रार्थी के
प्रार्थी के विरासत का नामान्तकर
दर्ज कर दिया जो कि गलत है
बैरवा है तथा प्रार्थी के आधार
प्रार्थी का नाम राम सिंह बैरव
न्यायालय हाजा से इस अमर
है कि वादी का राजस्व रिकॉ

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 53/2025
प्रकरण दायर दिनांकः–21.05.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः–25.09.2025

<u>उनवान</u>

1. राम सिंह बैरवा पुत्र नानग चन्द बैरवा जाति बैरवा निवासी गुढलिया बास की बैरवा ढाणी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

.... प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बांदीकुइ

. अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती इन्द्राज उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 136 रा0 लै0 रे0 एक्ट</u>

निर्णय दिनांक 25.09.2025

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम बास गुढलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 66 पुरानी 64 के खसरा नंबर 552, 577, 578, 582, 583 लगायत 587, 635 कुल किता 10 कुल रकबा 4.40 हैक्टेयर एवं भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 63 के खसरा नंबर 580 रकबा 0.15 हैक्टेयर गै.मु. आबादी स्थित है जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से संबोधित किया जावेगा। उक्त भूमि मुतदाविया हिन्दू मुश्तर्का खानदान की भूमि रही है जो वादी को विरासत में प्राप्त हुयी है उक्त वर्णित भूमि मुतदाविया राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम रामसहाय पुत्र नानगा दर्ज कर दिया जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम राम सिंह बैरवा पुत्र नानग चन्द बैरवा है जो सही है। प्रार्थी के पिता के रामसहाय नाम का कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थी के विरासत का नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थी का गलत नाम रामसहाय पुत्र नानगा दर्ज कर दिया जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम राम सिंह बैरवा पुत्र नानग चन्द बैरवा है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड बैंक पासबुक आदि सभी में प्रार्थी का नाम राम सिंह बैरवा पुत्र नानग चन्द बैरवा दर्ज है जो सही है। तथा प्रार्थी न्यायालय हाजा से इस अमर की दुरूस्ती की उद्घोषणा अपने हक में करवाने का अधिकारी है कि वादी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे गलत नाम रामसहाय पुत्र नानगा दर्ज है

Scanned with OKEN Scanner

उसको हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड वर्णित उक्त भूमि में प्रार्थी का सही नाम राम सिंह बैरवा पुत्र नानग चन्द बैरवा दर्ज किया जावें इस अमर की दुरूस्थी की उद्घोषणा प्रार्थी न्यायालय हाजा से अपने हक में प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे अपने गलत नाम की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है प्रार्थी को अपने नाम गलत होने की जानकारी सर्वप्रथम अपनी भूमि की बाबत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी से जमाबंदी रिकॉर्ड आदि की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 28.03.2025 को हुयी है इससे पूर्व प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं रही है। प्रार्थी ने अपने नाम की दुरूस्ती करवाने के लिये अप्रार्थी संख्या 01 के यहॉं पर दिनांक 05.04.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत देकर भेज दिया व प्रार्थना पत्र को लेने से इंकार कर दिया व प्रार्थी का नाम दुरूस्त नहीं किया इस कारण प्रार्थी के पास सिवाय प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा नजर नहीं आया इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर दुरूस्ती बहक प्रार्थी बरखिलाफ अप्रार्थी इस अमर की जारी फरमायी जावे कि वर्णित भूमि मुतदाविया भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 66 पुरानी 64 के खसरा नंबर 552, 577, 578, 582, 583 लगायत 587, 635 कुल किता 10 कुल रकबा 4.40 हैक्टेयर एवं भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 63 के खसरा नंबर 580 रकबा 0.15 हैक्टेयर गै0 मु0 आबादी स्थित ग्राम बास गुढलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा जो कि व प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुयी है जिसमें सहवन से राजस्व अधिकारियों ने रिकॉर्ड दर्ज करते समय प्रार्थी का गलत नाम रामसहाय पुत्र नानगा दर्ज कर दिया जो कि गलत है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, आदि सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम राम सिंह बैरवा पुत्र नानग चन्द बैरवा दर्ज है अब प्रार्थी अपने गलत नाम रामसहाय पुत्र नानगा को हजफ करवा कर प्रार्थी का भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम राम सिंह बैरवा पुत्र नानग चन्द बैरवा दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण में पैरोकार सरकार /तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांक 8599 दिनांक 14.08.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थी वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 भूमि खाता संख्या नया 66 पुराना 64 एवं खाता संख्या नया 65 पुराना 63 वाके रामा बास गुढलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा में रामसहाय पुत्र नानगा हिस्सा 1/10 जाति बैरवा सा. देह खातेदार दर्ज है। संलग्न दस्तावेजात पेनकार्ड, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम राम सिंह पुत्र नानगा दर्ज है। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 8599 दिनांक 14.08.2025 के अनुसार ग्राम बास गुढलिया की जमाबंदी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 66 व 65 में प्रार्थी का नाम रामसहाय पुत्र नानगा जाति बैरवा दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि रामसहाय पुत्र नानगा का सही नामरामसिंह पुत्र नानकचन्द है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड आदि में भी प्रार्थी का

१५४६८

नाम राम सिंह पुत्र नानकचन्द है। अतः प्रार्थी का नाम रामसहाय पुत्र नानगा के स्थान पर राम सिंह पुत्र नानकचन्द करने बाबत रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन किया गया।

अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्व जमाबंदी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 66 व 65 में प्रार्थी का नाम रामसहाय पुत्र नानगा सहवन से दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम राम सिंह पुत्र नानकचन्द है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 66 पुरानी 64 के खसरा नंबर 552, 577, 578, 582, 583 लगायत 587, 635 कुल किता 10 कुल रकबा 4.40 हैक्टेयर एवं भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 63 के खसरा नंबर 580 रकबा 0.15 हैक्टेयर गै0 मु0 आबादी स्थित ग्राम बास गुढलिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज नाम रामसहाय पुत्र नानगा को हजफ किया जाकर प्रार्थी का सही नाम राम सिंह पुत्र नानक चन्द बैरवा दर्ज किया जावें। तहसीलदार बॉदीकुई बैंक रहन हटने के बाद राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को सुनाया जाकर एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

25.9.25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner